Saathi

Date 08/07/2020 Page (1 to 3)

B.A. PART-2ND (H)
POLITICAL SCIENCE
PAPER-III rd (INDIAN GOVERNMENT AND POLITICS)
CH- 2 (THE PREAMBLE)
LECTURE NO.- 07

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SCIENCE
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों के अर्थ-

पीछले व्याख्यान (06) में प्रस्तावना में उल्लेखित (1) हम, भारत के लोग (2) सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न (3) समाजवादी (4) पंथनिरपेक्ष (5) लोकतंत्रात्मक (6) गणराज्य शब्दों की व्याख्या की जा चुकी है।

इस व्याख्यान में प्रस्तावना में उल्लेखित कुछ और शब्दों की व्याख्या प्रस्तुत कर रहें हैं जो इस प्रकार हैं—

(7) न्याय (Justice)—

इसके अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल हैं।

(i) सामाजिक न्याय—

इसका तात्पर्य यह है कि समाज में व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाना चाहिए और जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल, सम्पत्ति या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) आर्थिक न्याय—

आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि ऐसी व्यवस्था का अन्त कर दिया जाना चाहिए। जिसमें कुछ साधन-सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा बहुसंख्यक साधनहीन व्यक्तियों का शोषण किया जाता हो। उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर समस्त समाज का अधिकार हो और उनका उपयोग समस्त समाज के हितों की दृष्टि से ही किया जाए। प्रत्येक नागरिकों को रोजगार एवं न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समान अवसर प्राप्त हो।

Page No.

Scanned with CamScanner

Saathi

Date __/__/____

(iii) राजनीतिक न्याय –

बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का अवसर प्रदान करना ही राजनीतिक न्याय है जैसे – वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने, चुनाव में उम्मीदवार बनने, राजनीतिक पद प्राप्त करने आदि।

(8) स्वतंत्रता (Liberty) –

स्वतंत्रता का अर्थ है, व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का निषेध तथा उसे सम्पूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराना। स्वतंत्रता इस प्रकार की होनी चाहिए जो राज्य एवं नागरिकों दोनों के हित में हो। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है।

(9) समता (Equality) –

उद्देशिका में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का वर्णन किया गया है, जिसका अर्थ है समाज में किसी वर्ग के लिये बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराना। उद्देशिका में समानता के तीन आयाम शामिल हैं – सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानताएँ।

(10) भ्रातृत्व (Fraternity) –

भ्रातृत्व का तात्पर्य है, सभी नागरिकों के बीच एक होने के भाव को जागृत करना और सर्वमान्य भाईचारे का विकास करना। भारतीय संविधान एकल नागरिकता तथा मौलिक कर्तव्य के माध्यम से भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है।

Next

Scanned with CamScanner

Saathi

Date ___/___/_____

(11) व्यक्ति की गरिमा
(Dignity of the individual)

व्यक्ति की गरिमा को भी प्रस्तावना में स्थान देकर इसके महत्व को स्थापित किया गया है। के० एम० मुंशी के शब्दों में, "व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है।"

(12) राष्ट्र की एकता और अखंडता
(Unity and Integrity of the Nation)

बहुपवादी संस्कृति की वजह से राष्ट्र की एकता और अखंडता पर विशेष बल दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा ~~[illegible]~~ प्रस्तावना में 'एकता' शब्द के स्थान पर 'एकता और अखंडता' शब्द को जोड़ा गया।

इस प्रकार हम पाते हैं कि प्रस्तावना में उल्लेखित प्रत्येक शब्द काफी महत्वपूर्ण है।

x———x———x———x

Scanned with CamScanner